

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

7 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष — फ्रांसिस टाना भगत ।

बनाम

सं0 48 / 2023

द्वितीय पक्ष — मानुएल एक्का बगैरह ।

आदेश की क० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 13 / 2023 दिनांक 10 / 06 / 2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) फ्रांसिस टाना भगत पिता स्व० जुलुस टाना भगत ग्राम बिरहा चट्टान, थाना पालकोट, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) मानुएल एक्का, पिता स्व० अलविश एक्का (2) आसित एक्का पिता स्व० नुआस एक्का (3) रोजी नुआस एक्का पति स्व० नुआस एक्का तीनों ग्राम विरहा चट्टान, थाना पालकोट जिला गुमला के बीच जमीन बंटवारा को लेकर विवाद एवं तनाव हैं। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  3.11.24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	